



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49193

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3347 वर्ष 2026

मन्नी

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : रमेन्द्र कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याची जुलाई, 2010 से वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होने का दावा करता है, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभा शंकर दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य: दीवानी अपील संख्या 10956 वर्ष 2018 और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पुत्ती लाल (2002) खंड 2 यू पी एल बी ई सी 1595 के निर्णय के दृष्टिगत वेतनमान के न्यूनतम अर्थात् 18,000/- रुपये के भुगतान की मांग करता है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रिट याची के दावे का निर्णय चतुर्थ प्रत्यर्थी, प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, सोनभद्र द्वारा किया जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदन पर विचार करते हुए, रिट याची को 27.03.2026 तक चतुर्थ प्रत्यर्थी, प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, सोनभद्र के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है। तत्पश्चात, चतुर्थ प्रत्यर्थी तीन माह की अवधि के भीतर रिट याची के दावे का निर्णय करेगा।
5. उक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
6. आज दाखिल किए गए अनुदेशों को पत्रावली पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'क' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

11 मार्च, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।